तारीख	पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर (18/2017)
	की आवश्यकता नहीं है। आदेश प्रतिवादी के दी जानी है। मिसल वाले आदेश नियत की गई। आदेश तामील नहीं। मिसल वास्ते [illegible] दि. 23/7/2021 को पेश हो।
23/7/21	वकील वादी द्वारा वादी का वाद साबित [illegible] P/D किया जाता है। जिसकी प्रति वकील प्रतिवादी को दी गई। मिसल वास्ते P/D प्रतिवादी इन्तजार दि. 12/8/2021 को पेश हो।
12/8/21	वकील वादी द्वारा प्रतिवादी/तहसीलदार जानिब से P/D प्रस्ताव अप्राप्त है। इन्तजार होकर मिसल दि. 17/8/2021 को पेश हो।
17/8/21	वकील वादी द्वारा P/D प्राप्त हुई। वकील वादी के P/D पर [illegible] P/D [illegible]। वकील वादी ने P/D प्रस्ताव [illegible] आवेदन किया [illegible] कि [illegible] डिक्री [illegible] है। [illegible] P/D प्रस्ताव [illegible] डिक्री किया जाता है। [illegible] P/D प्रस्ताव [illegible] डिक्री किया जाता है। [illegible] मिसल [illegible] होकर दाखिल दफ्तर हो।

[illegible] (एस.डी.ओ.) [illegible]

Scanned with CamScanner

कार्यालय तहसीलदार (भू० अ०) जायल

क्रमांक / भू०अ० / प्राथमिक डिक्री / 2021 / 3227 दिनांक 13-8-2021

प्रेषित :- श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महो०
जायल

विषय :- प्राथमिक डिक्री की मौका रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव भेजने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषय में आपके न्यायालय के मु०न० 28/2019 अनवान लिखमाराम बनाम उम्मेदाराम वगैरा में जारी प्राथमिक डिक्री की मौका रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव तैयार होकर इस कार्यालय में जमा हुई। अतः इस पत्र के संलग्न मु०न० 28/2019 में जारी प्राथमिक डिक्री की मौका रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव दो प्रतियों में भेजी जा रही है,

अतः मु०न० 28/2019 की मौका रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव आगामी आवश्यक कार्यवाही बाबत श्रीमान जी सेवामें प्रेषित है

तहसीलदार (भू०अ०)
जायल

संलग्न :- मु०न० 28/2019 की मौका रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव दो प्रतियों में।

Scanned with CamScanner

मौका रिपोर्ट

मैं सीताराम कड़ोदा भू. अभिलेख निरीक्षक रोल कार्यालय तहसीलदार जायल के आदेश क्रमांक : भू. अ./प्राथमिक डिक्री/2021/2880 दिनांक 30-07-2021 की पालना में भूमि की मौका रिपोर्ट तैयार करने हेतु आज दिनांक 10-08-2021 समय 2:00PM बजे आराजी खसरा नम्बर 155/1 ग्राम डिडिया खुर्द पर पटवारी श्री रवीन्द्र के साथ मौके पर पहुंचा।

समस्त पक्षकारों को भू. अ. नि. कार्यालय से जारी नोटिस क्रमांक 45 दिनांक 4/08/2021 द्वारा जारी किये गये थे जिनकी तामील विधिवत रूप से करवाई गई। समस्त पक्षकारों में से मौके पर निम्न पक्षकार उपस्थित हुए -

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	जाति	वादी/प्रतिवादी
1.	लिखमाराम	उम्मेदाराम	मेघवाल	वादी
2.	निम्बाराम	उम्मेदाराम	मेघवाल	वादी
3.	उम्मेदाराम	रामूराम	मेघवाल	प्रतिवादी

उपर्युक्त पक्षकारों की उपस्थिति में भूमि का मौका मुआयना किया गया एवं मौका रिपोर्ट निम्नानुसार तैयार की गई।

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नं.	रकबा हैक्टेयर	दिशा
1.	लिखमाराम पुत्र उम्मेदाराम जाति मेघवाल सा. डिडिया खुर्द खातेदार	155/1	1.0279	उत्तरी भाग
2.	निम्बाराम पुत्र उम्मेदाराम जाति मेघवाल सा. डिडिया खुर्द खातेदार	155/1	1.0279	दक्षिणी भाग

N नजरी नक्शा
S

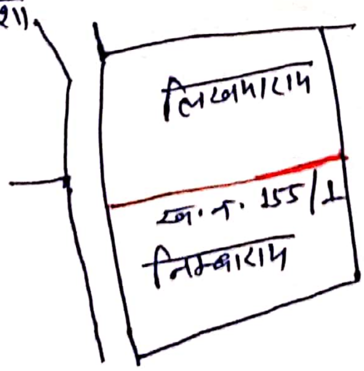

निम्बाराम

अं.नि. उम्मेदाराम

लिखमाराम

ILR-जायल 10/08/2021

प. डिडिया

उक्त विभाजन प्रस्ताव मौके पर उपस्थित पक्षकारों और मौतबिरानों को पढ़कर सुनाया गया। मौके पर उपस्थित पक्षकारों ने पढ़, सुन एवं समझ कर निम्न प्रकार हस्ताक्षर किये

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	जाति	हस्ताक्षर	वादी/प्रतिवादी
1.	लिखमाराम	उम्मेदाराम	मेघवाल	लिखमाराम	वादी
2.	निम्बाराम	उम्मेदाराम	मेघवाल	निम्बाराम	वादी
3.	उम्मेदाराम	रामूराम	मेघवाल	[अंगूठा निशानी] अं.नि. उम्मेदाराम	प्रतिवादी

निम्न पक्षकारों ने विभाजन प्रस्ताव पढ़, सुन, समझ कर हस्ताक्षर करने से इन्कार किया

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	जाति	वादी/प्रतिवादी
	—— NIL ——			

मौके पर अन्य मौतबिरान को भी उक्त विभाजन प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया और निम्न प्रकार हस्ताक्षर करवाए गये -

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	पता / Mo.No.
1	हुकमाराम	लाबूराम	53	मेघवाल	हुकमाराम 9928075

इस प्रकार आज दिनांक को यह मौका रिपोर्ट तैयार की गई।

लिखमाराम

निम्बाराम

अं.नि. उम्मेदाराम

प. द्विविध

ह./- 10/08/2021

[illegible] पटवारी
आमल

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :28/2019

ीगण–

1. लिखमाराम पुत्र उम्मेदाराम
2. निम्बाराम पुत्र उम्मेदाराम
   जातियान– मेघवाल निवासीगण–डिडिया खुर्द ,तहसील जायल (नागौर)

बनाम

ावादीगण –

1. उम्मेदाराम पुत्र रामूराम
   जाति मेघवाल निवासीगण– डिडियाकलां, तहसील जायल (नागौर)
2. तहसीलदार, जायल।

स्थिति :–

1. श्री जीयाराम गोदारा, अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. श्री शिवकुमार पारासर अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से
3. प्रतिवादी संख्या 2 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक : 17/8/2024

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वादपत्र र्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। ीगण ने निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के बडेर की पुस्तैनी भूमि मौजा डेया खुर्द तहसील जायल में खेत खसरा नं. 155/1 रकबा 12.14 बीघा रहती चली आई है। ीगण व प्रतिवादी ने आपसी पारिवारिक जुबानी बंटवाड़ा 2070 की आखातीज को वाद पत्र के पैरा या 2 (क व ग) के अनुसार कर सिंव–नींव अलग–अलग कर ली। जिसका बंटवाड़ा स्कीम निम्न र से है। वादी लिखमाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा डिडिया खुर्द का खेत खसरा नंबर /1 रकबा 12.14 बीघा में से 06.07 बीघा उतरी हिस्सा रखा गया है। वादी संख्या 2 निम्बाराम हक बंट कब्जा काश्त में मौजा डिडिया खुर्द का खेत खसरा नंबर 155/1 रकबा 12.14 बीघा में 06.07 बीघा दक्षिणी हिस्सा रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 3 अत्यधिक वृद्व हो जाने के कारण के हक बंट में नगदी,गौर,बाड़े रखे गये हैं। वादी व प्रतिवादीगण के बीच आपसी पारिवारिक ाड़ा हो जाने से माफिक बंट अनुसार अलग–अलग सींव–नींव कायम हो जाने के बावजूद ाड़ा अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं पाने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक नजरी नक्शा वादपत्र स्वीकार किया र डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर करे।

17/8/2024
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। ...दीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ने दिनांक 28.08.2019 को उपस्थित न्यायालय होकर ईकबाली ...वाब पेश किया। जिसमें वादीगण की पहचान अधिवक्ता श्री जीयाराम गोदारा ने तथा प्रतिवादी ...ख्या 1 की पहचान अधिवक्ता श्री शिवकुमार पारासर ने की। ईकबाली जवाब शामिल पत्रावली किया ...या। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 2 का सम्मन स्वयं से तामील होकर प्राप्त हुआ है, जो वाद ... में केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादीगण संख्या 1 द्वारा प्रकरण के संबंध में ईकबाली जवाब ... होने तथा प्रतिवादी संख्या 2 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक ...न्दू (तनकीयात) की आवश्यकता नहीं होने से तय नहीं किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु ...यत की गई।

...वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र गवाह लिखमाराम पुत्र उम्मेदाराम के ... हुये साथ नकल जमाबन्दी ग्राम डिडिया खुर्द तहसील–जायल सम्वत् 2069–2072 खाता संख्या ... प्रदर्श–1, 2025–2028 खाता संख्या 94 प्रदर्श–2 पेश हुवे। अधिवक्ता वादीगण द्वारा ओर साक्ष्य ... नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 ...रा पत्रावली में जरिये ईकबाली जबाब वाद पत्र को स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य ...ीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादी पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन ...या है कि वाद पत्र को माफीक ईकबाली जबाब में वर्णित पैराज माफिक स्वीकार किया जाने का ...वेदन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण सं. 1 ने हक बंट की भूमि का जरिये ईकबाली ...वाब आपसी सहमति बंटवारा होने की बात को स्वीकारा है तथा माफिक ईकबाली जबाब वाद पत्र ... डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है तथा मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी है तथा ...कारान् का कब्जा काश्त भी पेश किया है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का प्रस्तुत ईकबाली ...वाब दिनांक 28.08.2019 के अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक ...वाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय ...कारान् ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि ...वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत ईकबाली जबाब पर मनन किया गया। प्रतिवादी ...ख्या 2 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाडे के वादपत्र में जमाबंदी के ...नुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते है, जो कि ...योजित किये गये हैं। प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक–पृथक ...स्सा अंकित है जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से व बंट अनुसार ...लग–अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत ...कबाली जबाब दिनांक 28.08.2019 में वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ने आपसी सहमति के ...नुसार बंटवाड़ा तथा माफिक काबिज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने ... अपनी सहमति व्यक्त की है।

प्रकरण हाजा में मौजा डिडियाखुर्द के वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित ...तेदार अपने–अपने हिस्से का नियमानुसार बंटवाड़ा करवा सकते है, चूंकि वादग्रस्त खेतायों में ...कारान द्वारा खसरा नं. 155/1 का माफिक ईकबाली जबाब अनुसार बंट चाहा है जो पूर्ण रूपेण

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

भाजन नहीं है। अतः वाद पत्र में वर्णित खसरा नं. 155/1 की भूमि का पूर्णरूपेण विभाजन नहीं ने तथा पक्षकारान् के द्वारा हिस्से विशेष की भूमि बंटवारा चाहा जाने से हम वादी का वाद शिक स्वीकार कर दिनांक 23.07.2021 को प्राथमिक डिक्री के आदेश जारी किये गये थे।

तहसीलदार जायल से उक्त निर्णय आदेश दिनांक 23.07..2021 की पालना में प्राथमिक बंटवारा स्ताव जरिये पत्रांक 3227 दिनांक 13.08.2021 को प्राप्त हुआ, जिस पर वकुलाय को सुना गया। कुलाय ने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार द को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार यल द्वारा पक्षकारान को नोटिस जारी किया जाकर मौके पर उपस्थित होकर तैयार किया गया है, स्थित पक्षकारान् में वादीगण व प्रतिवादी लिखमाराम, उम्मेदाराम, निम्बाराम ने बंटवारा प्रस्ताव पर हमति व्यक्त की है तथा उक्त बंटवारा प्रस्ताव मौके पर जाकर तैयार किये जाने की पुष्टि मौके पर स्थित मौतबिरान हुक्माराम पुत्र लाबूराम के हस्ताक्षर से सम्पुष्ट होती है। बंटवारा प्रस्ताव में तिवादी उम्मेदाराम के हकबंट व खातेदारी में मुतदाविया खेतायों की भूमि में हिस्सा नही रखा है, ससे मामला भूमि अन्तरण का प्रतीत होता है। अतः प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्से की भूमि का यमानुसार स्टाम्प शुल्क लिया जाना न्यायसंगत है। अतः मौजा डिडियाखुर्द तहसील जायल के वादग्रस्त खसरानं. 155/1 में वादी संख्या 1 व 2 को प्रतिवादी संख्या 1 उम्मेदाराम पुत्र रामूराम साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार जायल से प्राप्त माफिक बंटवारा प्रस्ताव नुसार वाद अन्तिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

– : : आदेश : : –

यत् वादीगण का वाद अधीन धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार या जाकर मौजा डिडिया खुर्द तहसील जायल के विवादग्रस्त खसरा नं. 155/1 में वादी संख्या 1 2 को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार जायल से त जरिये पत्रांक 3227 दिनांक 13.08.2021 के बंटवारा प्रस्ताव (पीडी) अनुसार स्वीकार किया जाता तथा निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी लिखमाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा डिडिया खुर्द का खेत खसरा नंबर 155/1 रकबा 12.14 बीघा में से 06.07 बीघा (1.0279 हैक्टेयर) उतरी हिस्सा रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
2. वादी संख्या 2 निम्बाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा डिडिया खुर्द का खेत खसरा नंबर 155/1 रकबा 12.14 बीघा में से 06.07 बीघा (1.0279 हैक्टेयर) दक्षिणी हिस्सा रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
3. बंटवारा प्रस्ताव में प्रतिवादी उम्मेदाराम के हकबंट व खातेदारी में मुतदाविया खेताय की भूमि में हिस्सा नही रखा है, जिससे मामला भूमि अन्तरण का प्रतीत होता है। अतः हम प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्से की भूमिका नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा कराने पर मौजा डिडिया खुर्द तहसील जायल के विवादग्रस्त खसरानं. 155/1 के संबंध में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही की जावे।

निर्णय आज दिनांक ....17/9/2021.... को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर इजलास सुनाया गया।

17/9/2021

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 28/2019

ाण–

लिखमाराम पुत्र उम्मेदाराम

निम्बाराम पुत्र उम्मेदाराम

जातियान– मेघवाल निवासीगण–डिडिया खुर्द ,तहसील जायल (नागौर)

बनाम

ादीगण –

उम्मेदाराम पुत्र रामूराम

जाति मेघवाल निवासीगण– डिडिया खुर्द , तहसील जायल (नागौर)

थति :–

. श्री जीयाराम गोदारा, अधिवक्ता वादीगण की ओर से

. श्री शिवकुमार पारासर अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से

. प्रतिवादी संख्या 2 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री जीयाराम गोदारा अधिवक्ता ाण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 हाजरी श्री शिवकुमार पारासर अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 2 ार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि –

यत् वादीगण का वाद अधीन धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार जाकर मौजा डिडिया खुर्द तहसील जायल के विवादग्रस्त खसरा नं. 155/1 में वादी संख्या 1 को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार जायल से जरिये पत्रांक 3227 दिनांक 13.08.2021 के बंटवारा प्रस्ताव (पीडी) अनुसार स्वीकार किया जाता था निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है।

. वादी लिखमाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा डिडिया खुर्द का खेत खसरा नंबर 155/1 रकबा 12.14 बीघा में से 06.07 बीघा (1.0279 हैक्टेयर) उतरी हिस्सा रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

. वादी संख्या 2 निम्बाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा डिडिया खुर्द का खेत खसरा नंबर 155/1 रकबा 12.14 बीघा में से 06.07 बीघा (1.0279 हैक्टेयर) दक्षिणी हिस्सा रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

17/8/2021
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

3. बंटवारा प्रस्ताव में प्रतिवादी उम्मेदाराम के हकवंट व खातेदारी में मुतदाविया खेताय की भूमि में हिस्सा नही रखा है, जिससे मामला भूमि अन्तरण का प्रतीत होता है। अतः हम प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्से की भूमिका नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा कराने पर मौजा डिडिया खुर्द तहसील जायल के विवादग्रस्त खसरानं. 155/1 के संबंध में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही की जावे।

17/8/2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल-(नागौर)

ज - **मुबलिग** - **बाबत्** -खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह - सालाना
आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक - की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ....17/8/2021...... को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
हनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
तफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
जान			मिजान		

:-इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया या हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

17/8/2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner